

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1380-दो/2007 - विरुद्ध आदेश दिनांक
25-5-2007- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण
क्रमांक 721/2001-02 अपील

लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लल्लूप्रसाद पटैल
पुत्र बद्रीप्रसाद पटैल जयप्रकाश नगर
मकान नं.1303 जबलपुर मध्यप्रदेश
विरुद्ध

---आवेदक

1- दलप्रताप पुत्र तेजाप्रसाद पटैल
2- काशीप्रसाद पुत्र तेजाप्रसाद पटैल
निवासी ग्राम खैरहाई तहसील
मउगंज जिला रीवा मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 - 2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक
721/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 के विरुद्ध
म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि ग्राम अमल्लकपुर की कुल किता 32
कुल रकबा 21-67 एकड़ के सहभूमिस्वामियों के बीच ग्राम की नामान्तरण पंजी के
सरल क्रमांक 19 पर आदेश दिनांक 16.8.1981 से सहमति बटवारा किया गया।
जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण क्रमांक 190 अ-6/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2002 से नामान्तरण आदेश दिनांक 16.8.81 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 721/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 31-5-2002 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 721/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 से अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 31-5-2002 इस आधार पर निरस्त किया है क्योंकि तहसील न्यायालय में पंजी क्रमांक 19 पर हुआ बटवारा पक्षकारों की सहमति के आधार पर आधारित है।

1. नन्नूराम विरुद्ध देवीदयाल 1978 (2) म0प्र0वीकली नोट्स 222 एवं गुडडीवाई विरुद्ध बलवीर सिंह 2014 रा0नि0 220 में व्यवस्था दी गई है कि सहमति का आदेश - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 (3) के अनुसार पक्षकारों के बीच सहमति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी।

2. अब्दुलगनी विरुद्ध बकतुल्लाह 1974 रा0नि0 402 में प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन पूर्व में किया जाना सिद्ध किया गया, परन्तु जो पक्ष यथास्थिति में परिवर्तन चाहता है वह सिविल न्यायालय से स्वत्व विनिश्चित कराये।

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 721/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 से अनुविभागीय अधिकारी मउगँज के आदेश दिनांक 31-5-2002 को निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 25-5-2007 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 721/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 यथावत् रखा जाता है।



(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर